बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 438657 / पटना, दिनांक 29/08/19

ग्रा0वि0-6-SGSY/ NRLM-41/2013

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

विषय:- **विकास प्रबंधन संस्थान (DMI) के स्थायी परिसर हेतु पटना जिला अंतर्गत बिहटा के सिंकदरपुर मौजा में अधिग्रहित 15 एकड़ भूमि पर रू0 250.00 करोड़ (दो अरब पचास करोड रूपये) मात्र की लागत से भवन निर्माण की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति ।**

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-414026 दिनांक-26.02.2019

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि राज्य में विकास संबंधी कार्यो के समुचित संचालन एवं योजनाओं का लाभ समाज के निर्धनतम परिवारों तक पहुँचाने हेतु बड़ी संख्या में विकास संबंधी प्रोफेशनल तैयार करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य योजना के अंतर्गत वर्ष 2014 में विकास प्रबंधन संस्थान (DMI) की स्थापना की गई है । इस संस्थान के स्थायी परिसर के निर्माण हेतु पटना जिला अंतर्गत बिहटा के सिंकदरपुर मौजा में 15 एकड़ भूमि अधिग्रहित है । पूर्व में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-414026 दिनांक-26.02.2019 द्वारा विकास प्रबंधन संस्थान के स्थायी परिसर के निर्माण हेतु रू0 200.00 करोड़ (दो अरब) की लागत से भवन निर्माण विभाग के माध्यम से भवन निर्माण कराये जाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है । पुन: इस योजना हेतु भवन निर्माण विभाग के पत्रांक-6928 दिनांक-29.07.2019 द्वारा रू0 255.96 करोड (दो अरब पचपन करोड़ छियानवे लाख) की संशोधित तकनीकी अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजा गया। दिनांक-27.08.2019 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मद सं0-14 के रूप में विकास प्रबंधन संस्थान के स्थायी परिसर हेतु भवन निर्माण के कार्य स्कोप (Scope) को रू0 250.00 करोड़ (दो अरब पचास करोड़ रूपये) तक सीमित करते हुए इस राशि की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

(2) योजना का व्यय भवन निर्माण विभाग के मांग सं0-03 अंतर्गत मुख्य शीर्ष-4059 -लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य भवन, लघु शीर्ष-051-निर्माण समूह

शीर्ष-राज्य स्कीम अंतर्गत उप शीर्ष-0126-विकास प्रबंधन संस्थान (डीएमआइ) विपत्र कोड-03-4059600510126, विषय शीर्ष-0126.53.01 मुख्य निर्माण कार्य से वहन किया जायेगा ।

(3) राशि की निकासी एवं व्यय भवन निर्माण विभाग के संबंधित पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

(4) राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के समय-समय पर निर्गत अनुदेशों/निदेशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

विश्वासभाजन

29/8/19

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 438657 / पटना, दिनांक 29/08/19

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

29/8/19

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 438657 / पटना, दिनांक 29/08/19

प्रतिलिपि- निदेशक, विकास प्रबंधन संस्थान (DMI), उद्योग भवन, द्वितीय तल, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना-800004 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

29/8/19

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 438657 / पटना, दिनांक 29/08/19

प्रतिलिपि- प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिला पदाधिकारी, पटना/ उप विकास आयुक्त, पटना /जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

29/8/19

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 438657 / पटना, दिनांक 29/08/19

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ श्री सुनील कुमार, आई0टी0मैंनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित ।

29/8/19

सरकार के सचिव